(16)

(5)
40

न

। विभाग

(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार)

क्रमांक डी- 373/700/का०एवंप्र०सु०/एक/77 भोपाल, दिनांक 4 जून 1977

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

विषय :- गोपनीय रिपोर्ट में की गयी प्रतिकूल टीकाओं के विरुद्ध प्राप्त प्रतिनिवेदनों की शीघ्रतापूर्वक निपटारा ।

संदर्भ :- मुख्य सचिव, का समस्त सचिवों को संबोधित अर्ध शा० पत्र क्रमांक 3094/1645/1(2) दिनांक 14-5-70.

xxx

पुस्तक परिपत्र भाग-एक, क्रमांक-7, के पेरा 13 (एक) के अनुसार रिपोर्ट में की गयी गोपनीय/प्रतिकूल टीकाओं के विरुद्ध संबंधित अधिकारी व्दारा प्रतिनिवेदन अधिक से अधिक तीन माह के अवधि में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए । पेरा 13 (पांच) के अनुसार प्रतिनिवेदन पर प्रतिकूल टीका लिखने वाले अधिकारी को अपना मत, इस संबंध में पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर भेज देना चाहिए । इन प्रति निवेदनों का शीघ्र निपटारा करने के लिये संदर्भित अर्ध शासकीय पत्र व्दारा समस्त विभागों को निर्देश दिये गये थे कि इस प्रकार के पुराने मामले एक माह की अवधि में और नये मामले अधिकारियों व्दारा दिये जाने वाले प्रतिनिवेदनों (representations) के प्राप्त होने की तारीख से दो माह की अवधि में निपटा दिये जांय ।

2/ शासन ने अब निर्णय लिया है कि सचिवालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टीकाओं के विरुद्ध प्राप्त प्रतिनिवेदनों में से जिन प्रतिनिवेदनों पर संबंधित प्रतिकूल टीका लिखने वाले अधिकारियों के मत आ गये हों ऐसे मामले एक हफ्ते के भीतर अंतिम निर्णय लेकर अवश्यमेव निपटाए जांय । भविष्य में प्राप्त प्रतिनिवेदनों के मामलों में नियमानुसार निर्धारित अवधि के भीतर

(6)



प्रतिनिवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो माह के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाय ।

(व्ही० जी० निगम)
विशेष सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक डी0-374/700/का० एवं प्र०सु/एक/77 भोपाल, दिनांक 4 जून 1977

प्रतिलिपि :-

समस्त संभागीय आयुक्त ।
समस्त विभागाध्यक्ष ।
समस्त कलेक्टर ।
रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म०प्र०, जबलपुर ।
सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।
सचिव, राजस्व मंडल, म०प्र० ग्वालियर ।
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, म०प्र०, भोपाल ।
राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव ।
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म०प्र० भोपाल

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई के लिये अग्रेषित ।

(व्ही० जी० निगम)
विशेष सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

चन्देल/4-6-77